

-:: कार्यालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन (म.प्र.) ::-
// आदेश //

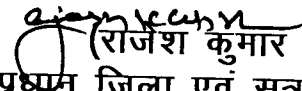
क्रमांक.....55/एक-11-2/11

उज्जैन, दिनांक 03 /4/2025

माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर के आदेश क्रमांक 632 दिनांक 27.03.2025 के द्वारा श्रीमती नीलम मिश्रा जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश नागदा का स्थानांतरण किये जाने के फलस्वरूप कार्यसुविधा की दृष्टि से मैं राजेश कुमार गुप्ता प्रधान जिला न्यायाधीश, उज्जैन सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 24 एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 409 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीमती नीलम मिश्रा जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश नागदा के न्यायालय में लंबित समस्त साम्प्रतिक एवं आपराधिक प्रकरणों को उनके न्यायालय से प्रत्याहरित कर विधिवत् निराकरण हेतु श्री विवेक शुक्ला जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नागदा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश नागदा के न्यायालय में अंतरित करता हूँ।

नोट :

1. उक्त आदेश श्रीमती नीलम मिश्रा जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश नागदा के कार्यमुक्त होने की दिनांक से प्रभावशील होगा।

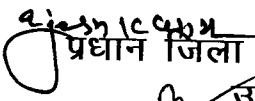

(राजेश कुमार गुप्ता)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन (म.प्र.)

पृष्ठांकन क्रमांक/एक-11-2/11

उज्जैन, दिनांक 4/2025

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमती नीलम मिश्रा जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश नागदा
2. श्री विवेक शुक्ला जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नागदा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश नागदा
की ओर सूचनार्थ, पालनार्थ।
3. प्रभारी अधिकारी फाईलिंग अनुविभाग नागदा की ओर सूचनार्थ एवं प्रकरण के अंतरण संबंधी आवश्यक कार्यवाही करने हेतु संबंधित लिपिक को निर्देशित करने हेतु प्रेषित।
4. अध्यक्ष अभिभाषक संघ नागदा की ओर सूचनार्थ।


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन (म.प्र.)